



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 05.12.2024

थाना बडौत पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान 02 शातिर गौकश को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 रस्सी, 01 अवैध छुरा तथा घटना में प्रयुक्त 01 चोरी की मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट स्प्लेन्डर प्लस(सम्बन्धित मु0अ0सं0 774/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत) बरामदा

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 04.12.24 की रात्रि में समय करीब 23:17 बजे संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की नहर पटरी औद्योगिक क्षेत्र पर चैकिंग की जा रही थी। दो मोटरसाईकिल सवार जिन्हें चैकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं रुके और भागने लगे इसी दौरान पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में जबाबी कार्यवाही



करते हुये 02 शातिर गौकशों को ईदरीशपुर-शिकोहपुर मार्ग पर बाद पुलिस मुठभेड़

घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 रस्सी, 01 अवैध छुरा तथा घटना में प्रयुक्त एक चोरी की मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट स्प्लेन्डर प्लस (सम्बन्धित मु0अ0सं0 774/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत) बरामद हुई हैं। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-शहजाद पुत्र इन्तजार निवासी नन्द नगरी थाना नन्दनगरी नोर्थ ईस्ट दिल्ली (घायल)
- 2-साहिल पुत्र मकसूद निवासी पूजा कालौनी थाना खजूरी खास नोर्थ ईस्ट दिल्ली (घायल)

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
- 01 अवैध छुरा।
- 02 रस्सी।
- एक चोरी की मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट स्प्लेन्डर प्लस(सम्बन्धित मु0अ0सं0 774/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत)।

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 284/23 धारा 392/411 भादवि थाना को0 देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2-मु0अ0सं0 294/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 दोहात जनपद बुलन्दशहर।
- 3-मु0अ0सं0 774/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 819/24 धारा 109 बीएनएस 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त साहिल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 693/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना को0 बडौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 742/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना को0 बडौत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 754/22 धारा 307/427 भादवि थाना को0 बडौत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 755/22 धारा 3/5A/8 गौवध अधि0 थाना को0 बडौत जनपद बागपत।
- 5- मु0अ0सं0 774/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 बडौत जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 819/24 धारा 109 बीएनएस 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना को0 बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 5- का0 919 गजेन्द्र थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 6- का0 984 दीपक शर्मा थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 7- का0 1058 शरद यादव थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 8- का0 814 अमित नागर थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 9- का0 686 संजय सिंह थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 10-का0 463 पवन नागर थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 04.12.24

थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने 02 शातिर गौकश को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, 01 प्रतिबंधित पशु, 01 गण्डासा, 04 अवैध छुरा, 02 पेचकसनुमा लोहा, 01 इन्जैक्शन बेहोश करने वाला व 02 सिरिंज , 01 रस्सी तथा घटना में प्रयुक्त 01 गाडी i10 एरा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान डौला नहर पटरी ग्राम बसौद के जंगल में 02 शातिर गौकश को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, 01 प्रतिबंधित पशु 01 गण्डासा, 04 अवैध छुरा, 02 पेचकसनुमा लोहा, 01 इन्जैक्शन बेहोश करने वाला व 02 सिरिंज, 01 रस्सी तथा घटना में प्रयुक्त 01 गाडी i10 एरा बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नफीस पुत्र रफीक निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी मुस्तफाबाद दिल्ली ।
2. नईम पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी ग्राम किवाड थाना सिवाल कला जनपद बिजनौर हाल पता डिफेन्स कालोनी भोपुरा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण

- 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस ।
- 01 प्रतिबंधित पशु ।
- 01 गण्डासा ।
- 04 अवैध छुरा ।
- 01 इन्जैक्शन बेहोश करने वाला व 02 सिंरिज ।
- 01 रस्सी ।
- 02 पेचकसनुमा लोहा ।
- 01 गाडी i10 एरा ।

गिरफ्तार अभियुक्त नफीस पुत्र रफीक का अपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0121/22 धारा 174ए थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 247/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंदी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 693/22 धारा3/5/8 गौ हत्या थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 742/22 धारा 3/5/8 गौ हत्याथाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0121/22 धारा 174ए थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0755/22 धारा गौ हत्या 3/5/5ए/8/8 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0756/22 धारा 3/25अ0एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 820/21 धारा 3/5/8 गौ हत्या थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 825/21 धारा 3/5/8 गौ हत्या थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 10.मु0अ0सं0 127/19 धारा 3/5/8 गौ हत्या थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 11.मु0अ0सं0208/22 धारा 174ए थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 12.मु0अ0सं0 212/21 धारा 307 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 13.मु0अ0सं0 247/21 धारा 3/5/8 गौ हत्या थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 14.मु0अ0सं0 262/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंदी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

15.मु0अ0सं0 754/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंदी थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- सर्विलांस सैल टीम बागपत जनपद बागपत ।
- 3-व0उ0नि0 मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 546 बिपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 8-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 9-का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 10.का0 408 सुमित सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक-05.12.2024

**थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 414/24 धारा 118(1)/333/131
बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-02.12.2024 को थाना खेकडा पर वादी श्री राजकुमार पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम सलावतपुर खेडी थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके पुत्र मनोज द्वारा उसके घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 414/2024 धारा 118(1)/333/131 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 414/2024 धारा 118(1)/333/131 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र राजकुमार निवासी सलावतपुर खेडी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-का0 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।